न्यायालय सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल आर.ए.एस.
दावा बाबत आर0टी0ए0 88 व 136 एल.आर.एक्ट
प्रकरण संख्या–207/2020

चरणजीत सिह पुत्र श्री मोहनसिह जाति कम्बोज सिख निवासी पन्नीवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम्

तहसीलदार राजस्व टिब्बी। प्रतिवादी

उपस्थिति–श्री महावीरप्रसाद वर्मा अधिवक्ता वादी

पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 06.01.2021

वादी ने प्रतिवादी के विरूद्व यह दावा बाबत् घोषणा व दुरूस्ती के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि वादी के नाम से चकनं0 30 एनजीसी के खाता सं0 28/23 के प0न0 170/257 मु0 9 किलानं0 6/1/.228, 6/2/.025, 8,9,13,14,15/1/.228, 15/2/.025 कुल 1.518 है0 कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमें वादी का नाम चरण सिह वल्द मोहनसिह अंकित है।

वादी का नाम चरणजीत सिह वल्द मोहनसिह हैं जो कि वादी के आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज में दर्ज है। वादी के समस्त दस्तावेजात में वादी का सही नाम चरणजीत सिह दर्ज होने तथा वादी का नाम राजस्व रिकार्ड चक 30 एनजीसी के खाता सं0 28/23 में चरण सिह अंकित रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन हो रहा है व तथा वादी अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित हो रहा है। वादी को उक्त भूमि पर मिलने वाली सुविधाओं मे भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए वादी चंक 30 एनजीसी के खाता सं0 28/23 में चरण सिह के स्थान पर दुरूस्ती करवाकर चरणजीत सिह अंकित करवाना चाहता है।

वादी ने प्रतिवादी को वादपत्र की दफा 2 में दर्ज में वादी का नाम दुरूस्त करने का निवेदन किया तो प्रतिवादी कतई इन्कार हो गये। बस यही बिनाय दावा है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्ट्रर किया गया।प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया।प्रतिवादी स्टेट द्वारा अपना जवाबदावा पेश किया गया जिसमें स्टेट द्वारा कोई आपति नही की गई, स्टेट द्वारा अंकित किया गया है कि नाम दुरूस्ती से राज्यहित प्रभावित नही होते। प्रतिवादी स्टेट की ओर से प्रस्तुत जवाबदावा शामिल पत्रावली किया गया।

वहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी की भूमि में वादी का नाम चरणसिह दर्ज है जबकि वादी का सही नाम चरणजीत सिह है। इसलिए वादी राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि में अपना नाम चरण सिंह के स्थान पर चरणजीतसिह दर्ज करवाना

चाहता है जिसका स्टेट द्वारा कोई विरोध नही किया गया है।वादी के नाम की दुरूस्ती से राज्यहित प्रभावित नही होते है।वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री फरमाया जावे।

बहस सुनने के बाद प्रस्तुतम दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी वादी के नाम से दर्ज है, जिसमें वादी का नाम चरण सिह दर्ज है, तथा इस बाबत वादी ने अपने दस्तावेजात आधार कार्ड आदि पेश किये है जिसमें वादी का नाम चरणजीत सिह है। वादी अपना सही नाम चरणजीत सिह दर्ज करवाना चाहता है।वादी का वाद मात्र दुरूस्ती का है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है।उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि चक 30 एनजीसी के खाता सं0 28/23 में अंकित नाम चरण सिह को दुरूस्त कर चरणजीत सिह अंकित किये जाने आदेश दिये जाते है। उपरोक्त अनुसार ही राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मांगीलाल)
सहायक कलक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी।

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः–207/2020

चरणजीत सिह पुत्र श्री मोहनसिह जाति कम्बोज सिख निवासी पन्नीवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम्

तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादी

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मांगीलाल आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री महावीरप्रसाद वर्मा वादी मिन जामिन मुदई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 30 एनजीसी के ख़ाता सं0 28/23 में अंकित नाम चरण सिह को दुरूस्त कर चरणजीत सिह अंकित किये जाने आदेश दिये जाते है।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

खर्चा मुकदमें निज....X....निल......X.मुब्लिक....X.निल......x....बाबत्.......x.....निल.....x......के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ...X...अदा करें। वसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक...06.01.2021को जारी किया गया।

(मांगीलाल)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी